राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर

क्रमांकः एफ 32(1)(2)बा.अ.वि./आई.सी.पी.एस./चाईल्ड टैकिंग पत्रा/14/35124–156 जयपुर दिनांक : 28/2/19

समस्त अधीक्षक/प्रभारी,
राजकीय/गैर राजकीय
बाल गृह/आश्रय गृह
.....।

विषयः– चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम वेबसाइट www.trackthemlssingchlld.gov.in पर बच्चों की एन्ट्री के संबन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में प्राप्त एवं गुमशुदा बच्चों के त्वरित पुनर्वास हेतु निर्मित चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम वेबसाइट www.trackthemlssingchlld.gov.in का निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट पिटीशन (सी) 473/2005 सम्पूर्ण बहुरूआ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अन्य व माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारधीन रिट पीटीशन (सी) 75/2012 बचपन बचाओं आंदोलन बनाम भारत सरकार एवं अन्य की पालना में किया गया है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य पुलिस के समक्ष प्राप्त/गुमशुदा प्रकरणों की एन्ट्री www.trackthemlssingchlld.gov.in पर करते हुए प्राप्त एवं गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार में त्वरित पुनर्वास प्रदान करना है।

इसी परिपेक्ष्य में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 32 (2) के तहत् प्राप्त/ गुमशुदा बच्चों की सूचना अनिवार्य रूप से 24 घण्टे के भीतर भारत सरकार द्वारा निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किया जाना अपेक्षित है। उक्त की अवमानना को धारा 33 के तहत अपराध के रूप में माना जाएगा तथा धारा 34 के तहत 6 माह तक का कारावास या दस हजार रूपए तक के जुर्माने का या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

विभाग द्वारा उक्त अधिनियम की पालना में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम पर एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया साथ ही समय-समय पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भी प्रशिक्षण शिवरों का आयोजन किया जाता है एवं www.trackthemlssingchlld.gov.in पर राज्यों द्वारा की एन्ट्रीयों की समीक्षा भी की जाती है। दिनांक 08.01.2019 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें विभाग की ओर से निदेशक महोदया द्वारा भाग लिया गया। उक्त संगोष्ठी में इस विषय को गम्भीरता से उठाया गया एवं अवगत कराया गया कि राज्य में अधिकांश बाल गृहों/आश्रय गृहों द्वारा बालकों की नियमित प्रविष्टियॉ ट्रेक द मिसिंग चाइल्ड पोर्टल पर नहीं की जा रही है। इसी संम्बन्ध में विभाग द्वारा दिनांक 28.01.2019 व 29.01.2019 एक कार्यशाला का आयोजन किया गया एवं गृहों द्वारा की जा रही प्रविष्टियॉ की समीक्षा की गई। समीक्षा उपरान्त पाया गया की अधिकांश गृहों द्वारा न तो बालकों की नियमित प्रविष्टियॉ की जा रही है न ही गृहों से बाहर जा चुके बालकों को डिस्चार्ज के माध्यम से पोर्टल से हटाया जा रहा है।

उक्त के कम में लेख है कि भविष्य में बालकों की नियमित प्रविष्टियॉ पोर्टल पर सुनिश्चित करें व गृहों से बाहर जा चुके बालकों को डिस्चाजे के माध्यम से पोर्टल से हटाना भी सुनिश्वित करावें, जिससे की संस्था में आवसित बालकों की सही स्थिति का आंकलन किया जा सके। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि संस्थानो को दिया जाने वाला अनुदान भी बालकों की प्रविष्टियॉ एवं बालाकों की उपस्थिति के अनुसार ही दिया जावेगा। अतः मैन्युअल की प्रति संलग्न कर लेख है कि बालको की एन्ट्री नियमित रूप से प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

निदेशक
बाल अधिकारिता विभाग

Desktop/adoption/letters

Scanned by CamScanner

क्रमांकः एफ 32(1)(2)बा.अ.वि./आई.सी.पी.एस./चाईल्ड टैकिंग पत्रा/14/35157-189 जयपुर दिनांकः 28/12/19

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. समस्त उप/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ... ।

संयुक्त निदेशक

Scanned by CamScanner